

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद भीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)
मिशाल संख्या:- 113/2023 निर्णय दिनांक :-31.08.2023

उनवानी प्रार्थना पत्र:-

1. अशोक मीणा पुत्र मांगीलाल मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम कलन्दरपुरा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0

-प्रार्थीगण-

बनाम

तहसीलदार नगरफोर्ट तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक (राज.)

-अप्रार्थी-

उपस्थिति :- श्री प्रकाशचन्द जैन
अधिवक्ता प्रार्थी

तहसीलदार नगरफोर्ट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 48 खसरा नम्बर 181/106 रकबा 0.54 है0 वाके ग्राम कलन्दरपुरा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि की नाप चोक कराई थी, जिसके सीमा चिन्ह मिट चुके है। प्रार्थीगण व अडोस पडोस के खातेदारों के मध्य सीमा व कब्जे को लेकर गम्भीर विवाद होने की संभावना है। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत् श्रीमान तहसीलदार देवली को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार नगरफोर्ट की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार नगरफोर्ट द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो निम्न प्रकार है :- उक्त आराजी प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है व कब्जे काश्त की है। आवेदक का पडोसी खातेदारो मोत्या देवी पत्नी कालु, कालु पुत्र पि0 गंगाराम, लाली पत्नी श्रीकिशन, भूली उर्फ लाली पुत्री सांग्या, लाला पुत्र गंगाराम, सूरजा पुत्र धारू, सीता पुत्री गंगाराम सभी जाति मीणा सा0 कलन्दरपुरा च शिवराज पि0 लादू जाति खाती सा0 धुवांकलां से सीमा विवाद होना बताया है जिन खातेदारो से सीमा विवाद है उनको पक्षकार नही



बनाया है उनको पक्षकार बनाना आवश्यक है। उक्त भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमित राजकीय भूमि नहीं है। उक्त आराजी के सम्बंध में किसी न्यायालय में स्थगन नहीं है और पूर्व में सीमाज्ञान नहीं हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्त प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी बहस पर मनन किया। तहसीलदार नगरफोर्ट की विन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार नगरफोर्ट को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पड़ोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमावन्दी सम्वत् 2072-75 में खाता संख्या 48 खसरा नम्बर 181/106 रकबा 0.54 है० वाके ग्राम कलन्दरपुरा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक की विधिवत् पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफतर हो।



उपखण्ड अधिकारी

देवली